जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-28.03.2025

प्रेस नोट

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंजीठ के बाग में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व कटान करने के उपकरण बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 25.03.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंजीठ के बाग में गौवंश के अवशेष मिले थे। जिसके संबंध में थाना कैराना पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 27/28.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंजीठ के बाग में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में जहानपुरा अलीपुर पुलिया के पास से घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। मुठभेड में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा पशु कटान के उपकरण बरामद हुये है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया है बाद उपचार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ निवासी मौहल्ला गुली छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.पशु कटान के उपकरण (03 छुरी)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आफताब उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-500/2022 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0-501/2022 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0-502/2022 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0-288/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना, जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0-276/2024 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0-672/2024 धारा 115(2)/131/351(2)/352 बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0-72/2025 धारा 115(2)/333/191(2)/191(3)/351(2)/352 बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 75/2025 धारा 25(9) आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 80/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 166/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 169/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट3/5/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.श्री बिजेन्द्र रावत प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0कां0 अनुज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

5.है0कां0 संजीव कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

6.कां0 पूरन सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

7.कां0 निशान्त थाना कैराना जनपद शामली।

8.कां0 विपिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 किलो 500 ग्राम डोड़ा चूर्ण व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 28.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को जंगल ग्राम टोडा के पास से अवैध 02 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सावन पुत्र कालू निवासी ग्राम अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली

2.शिवा पुत्र रमेश निवासी ग्राम अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सावन उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 133/25 धारा 8/15/60(3) ndps act थाना झिंझाना जनपद शामली

2.मु0अ0सं0 363/24 धारा 281/125बी/106(1) bns थाना झिंझाना जनपद शामली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवा उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 133/25 धारा 8/15/60(3) ndps act थाना झिंझाना जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) 02 किलो 500 ग्राम।

2.तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर (बिना नम्बर प्लेट)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिह चौकी चौसाना थाना झिझाना जनपद शामली।
2.है0का0 मुकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.का0 दीपक यादव चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 28.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जावेद पुत्र इनाम निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवबहादुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI